

न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला- सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 16/18

तारीख रजू : 15-2-18

निर्णय दिनांक : 23-3-18

सरकार बनाम राजूलाल

-: निर्णय :-


पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का महकलों ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि राजूलाल, चून्नीलाल पुत्र सुरज्ञान जाति गुर्जर निवासी महखूर्द ने खसरा नं. 114 रकबा .01 किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम महखूर्द पर संवत् 2074 में अनाधिकृत रूप से अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

गैरसायल ने उप0 होकर जबाब प्रस्तुत कर अतिचार से इनकार किया प्रस्तुत जबाब पर भू अभिलेख निरीक्षक गंगापुर सिटी से रिपोर्ट ली गई अनुसार अतिक्रमी ने अब भी उक्त आराजी पर अतिचार होने की पुष्टी की।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 1.00/- की 50 गुनी शास्ति 50/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर नीलाम करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23-3-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या
पर रुपये 50/- की कायमी वर्ष
2018-19 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार